**न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम , अयोध्या ।**

पीठासीन अधिकारी– सुरेन्द्र बहादुर,

उ0प्र0 न्यायिक सेवा,

**दाण्डिक वाद संख्या 185 / 2023**

क्रिमिनल केस नं0– **0004047 / 2014**

**राज्य बनाम राम सरन आदि**

अभियुक्त शिव सरन द्विवेदी

**एन सी आर नं0** . 18 / 12

धारा 323,504 भा.द.सं.

थाना खण्डासा

जनपद– अयोध्या।

दिनांक 25.11.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त शिवसरन द्विवेदीं मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त का अपराध संस्वीकृत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया । अभियुक्त शिवसरन द्विवेदीं द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में स्वेच्छया अपराध संस्वीकृत करना चाहता है । अतएव उसका अपराध संस्वीकृति कथन अंकित कर प्रकरण निस्तारित किया जाय।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त को यह अवगत कराया गया कि वह अपराध संस्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है । यदि वह अपराध संस्वीकृत करता है तो उसे विधि के अनुसार दण्डित किया जायेगा ।

अभियुक्त की याचनानुसार उसका अपराध संस्वीकृति कथन अंकित किया गया जिसमें उसने स्वेच्छया अभियोजन कथानक एवं अधिरोपित अपराध को संस्वीकृत किया ।

अभियुक्त एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एव पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त के अपराध संस्वीकृति कथन को दृष्टिगत रखते हुए उसे विधि के अनुसार अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि वह गरीब किसान है तथा आर्थिकरुप से विपन्न है। उसकी परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यूनतम दण्ड से दण्डित करते हुए क्षमा किया जाये।

उभय पक्ष के निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया अपराध घारा 323, 504 भाारतीय दण्ड विधान की संस्वीकृति की गयी

हैं। उक्त अपराध लघु अपराध की श्रेणी में है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या– 77/1v-b-36 दिनांकित 28 मई 1976 में वर्णित किया गया है कि ऐसे मामले जिनमें दो वर्ष या कम अवधि की सजा का प्रावधान है वह लघु अपराध की श्रेणी में आते हैं। अभियुक्त की आयु एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरान्त संस्वीकृत अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में अभियुक्त पर अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा अधिरोपित करने मात्र से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

**आदेश**

अभियुक्त शिवसरन द्विवेदीं को अपराध संस्वीकृति कथन के आधार पर अपराध धारा 323,504 भा0द0सं0 का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त शिवसरन द्विवेदीं को अपराध धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता में मु0 500/– पांच सौ रुपये अर्थदण्ड एंव न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को पांच दिवस के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त शिवसरन द्विवेदीं को अपराध धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता में मु0 700/–सात सौ रुपये अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को सात दिवस के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त ने अर्थदण्ड जमा कर दिया है। पत्रावली निस्तारित की जाती है। शेष अभियुक्त के विचारण हेतु तिथि नियत हो। यह पत्रावली मूल पत्रावली से अलग की जाय।

दिनांक 25.11.23

(सुरेन्द्र बहादुर )
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम.
अयोध्या।